नियत तिथि/Due date – 25.09.2013

Reg. No. MINES/R/2013/00286

भारत सरकार

खान मंत्रालय

शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

श्री. दामोदर प्रसाद शर्मा, अजमेर से प्राप्त आवेदन दिनांक 27.08.2013 को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। सूचना निर्धारित समय सीमा (30 दिन) में आवेदक को भिजवा दी जाए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का विषय अन्य सरकारी कार्यालय से जुडा/सम्बध्द है तो वह अधिकारी, जिसको आवेदन भेजा गया है, ऐसे आवेदन को संबंधित सरकारी अधिकारी/कार्यालय को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र लेकिन 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर सकेगा तथा इस बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) और 5(5) के तहत अपने कर्तव्य के निर्वाहन के लिए कैंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी यदि किसी अधिकारी से कोई सहायता मांगे तो उसे पूरी सहायता प्रदान करनी होगी और जिस अधिकारी से सूचना मांगी गई है उसे इस अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन की स्थिति में कैंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जायेगा।

3. अनुरोध है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार अपेक्षित शुल्क लेने के बाद, लोक सूचना प्रकोष्ठ (PI Cell) को सूचित करते हुए सीधे ही प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दें। यदि पूरी सूचना इसका कुछ भाग रोका जाना अपेक्षित है तो, सूचना को रोके जाने के कारणों को व्याख्यात्मक क्रम में (स्पीकिंग अपीलेबल आर्डर) स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए। कृपया आप प्रार्थी को यह भी बता दें कि यदि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह इस आदेश/पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी (अपीलीय अधिकारी का नाम/पता भी दिया जाए) के समक्ष अपील कर सकता/सकती है।

(सी.के. रावत/C.K. Rawat)
नोडल अधिकारी/Nodal Officer (RTI)

संलग्नः यथोपरि

<u>श्री कुल भूषण सिंह, अनुभाग अधिकारी/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय</u>

पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. MINES/R/2013/00286 दिनांक/Dated 27.08.2013

प्रतिलिपी सूचनार्थ –

श्री. दामोदर प्रसाद शर्मा, निवासी-गांव एवं पोस्ट पनेर, वाया रूपनगढ, तह – किशनगढ, जिला अजमेर (राजस्थान)

(सी.के. रावत/C.K. Rawat)
नोडल अधिकारी/Nodal Officer (RTI)

सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र–पारूप "अ"

सेवा में,

श्रीमान शासन सचिव भारत सरकार
खान मंत्रालय, खनिज विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय : सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत्।

प्रसंग: आपकेक कार्यालय की रिवीजन पत्रावली संख्या 25(26)/2009 आर.सी.-1 दामोदर प्रसाद शर्मा बनाम सचिव (खान) राजस्थान सरकार एवं अन्य की सम्पूर्ण पत्रावली की मय कार्यालय टिप्पणी (नोटशीट) की एक प्रति।

महोदय जी,

उक्त प्रसांगिक पत्रावली के संदर्भ में निवेदन है कि मुझे मेरी उक्त पत्रावली की मय कार्यालय टिप्पणी (नोटशीट) की एक प्रति चाहिए।

इस संदर्भ में शुल्क 10/- जरिये भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक 11F 048056 दिनांक 27.08.2013 नई दिल्ली का बनवा कर मूल इस आवेदन पत्र के सथ संलग्न कर शुभ्ल्क जमा करवा रहा हूं एवं उक्त सूचना की नकल हेतु अतिरिक्त कोई शुल्क देय है तो मुझै सूचित करवो ताकि मैं वह जमा करवा सकूं।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त सम्पूर्ण सूचना मय दस्तावेज के उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान करावें।

भवदीय

(दामोदर प्रसाद शर्मा)
पुत्र श्री रतन लाल शर्मा
निवासी-गांव एवं पोस्ट पनेर,
वाया रूपनगढ़, तह-किशनगढ,
जिला-अजमेर, राजस्थान

संलग्न : पोस्टल आर्डर क्रमांक 11F 048056
दिनांक 27.08.2013

SPEED POST
RTI MATTER

Government of India
Ministry of Mines

No. 01(02)/2013-RC-II

New Delhi, the 19.09.2013.

To

Sh.Damodar Prasad Sharma,
Village & Post-Paner,
Via-Rupangarh,
Tehsil-Kishangarh,
District-Ajmer(Rajasthan)

Sub: RTI Act,2005-reg.

Sir,

Kindly refer to your RTI application dated 27.08.2013 regarding seeking information under RTI Act, 2005 and to furnish the copies of the documents as desired by you.

In case you are not satisfied with above reply you may prefer the first appeal under Section 19 of the RTI Act, 2005 before the Appellate Authority Shri Bijender Singh, Deputy Secretary, Ministry of Mines, Room No. 315 "D" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi within 30 days of receipt of this communication.

Yours faithfully,

K.B.S

(K.B.Singh)
Section Officer&CPIO

Encl-As above

P.I.Cell w.r.t. U.O. No. Mines/R/2013/00286 and 287, dated 27.08.2013